

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)

Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325

Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building,

P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbcc@jharkhand@gmail.com

पत्रांक 21/01/2021 - 1670 (1/1)

राँची, दिनांक..... 27.07.2021

प्रेषक,

कार्यपालक निदेशक,
झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
राँची।

सेवा में,

M/s Ritesh Kumar Singh,
G/F Block – A, Trinity Residency,
Alkapuri, Ranchi, Jharkhand

विषय:- Construction of 200 Bedded Co-ed School at Khunti के निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता, पी0 आई0 यू0, खूँटी का पत्रांक 156 दिनांक 07.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि :-

1. Construction of 200 Bedded Co-ed School at Khunti के निर्माण कार्य एकरारनामों के अनुसार दिनांक 27.02.2019 को पूर्ण किया जाना था। परंतु अभी तक यह निर्माण कार्य मात्र 54% ही किया गया है। प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता, पी0 आई0 यू0, खूँटी के द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया जाता रहा है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, खूँटी के पत्रांक 156 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा आपको पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर कारण बताने का निर्देश दिया गया था कि कार्य में हो रहे विलम्ब के कारण क्यों नहीं आपके एकरारनामों को विखंडित (Terminate) कर दिया जाए। परियोजना कार्यान्वयन इकाई, खूँटी के पत्रांक 336 दिनांक 09.10.2019 के द्वारा भी आपको इसी प्रकार का कारण बताओ नोटिस दिया गया था।
2. Standard Bidding Document के Conditions of Contract की कंडिका 27.3 के अनुसार "The Contractor shall submit to the Engineer, for approval, an updated Programme at intervals no longer than the period stated in the Contract data." परंतु आपके द्वारा आपको आवंटित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान कभी भी कोई अपडेटेड प्रोग्राम समर्पित नहीं किया गया है।
3. Standard Bidding Document के Conditions of Contract की कंडिका 59.2 (a) के अनुसार "Fundamental breaches of Contract include, but shall not be limited to the following: (a) the Contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current Programme and the stoppage has not been authorized by the Engineer." आपके द्वारा आपको आवंटित कार्य के कार्यान्वयन के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के महीनों तक निर्माण कार्य बन्द रखा गया।
4. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड के संवेदक निबंधन नियमावली की कंडिका 11.1.4 के अनुसार बिना ठोस कारण के निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक को निलंबित किया जा सकेगा।

W

वर्णित तथ्यों के आलोक में आपके आवंटित उपर वर्णित निर्माण कार्य को पूर्ण करने में आपके द्वारा किए गए विलम्ब के कारण Standard Bidding Document के Conditions of Contract की कंडिका 27.3 तथा 59.2 (a) तथा संवेदक निबंधन नियमावली की कंडिका 11.1.4 के अन्तर्गत आपको भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से तत्काल प्रभाव से कार्य पूर्ण होने तक वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]

कार्यपालक निदेशक

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
राँची।

ज्ञापांक1670 (म)

प्रलितिप :- महाप्रबंधक/नोडल पदाधिकारी, ई - प्रोक्योरमेंट सेल/सभी प्रबंधक, झा0रा0भ0नि0लि0
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 27-9-2024

[Handwritten Signature]

कार्यपालक निदेशक

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
राँची।

ज्ञापांक1670 (म)

प्रलितिप :- प्रबंध निदेशक के वरीय प्रधान आप्त सचिव, झा0रा0भ0नि0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 27-9-2024

[Handwritten Signature]

कार्यपालक निदेशक

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
राँची।